न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 07/2018 तारीख रजू:– 22.02.2018

पीठासीन अधिकारी –सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————————————————प्रार्थी/वादी

बनाम

1. सुजानसिंह पुत्र मदनलाल
2. मुफतलाल पि0 मदनलाल
3. ओमवती पुत्री मदनलाल

जाति कोली निवासी मालीपुरा तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

4. रामफल पुत्र परसादी जाति माली निवासी बाढ करसौली
5. जगदीश पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी खोहरा घूसेटी
6. विशन पुत्र अमोल जाति माली निवासी बाढ करसौली
7. राजेन्द्र
8. दिनेश
9. बच्चू
10. प्रीतम

पिसरान मथुआ जाति प्रजापत निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————— अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 175/177 राज0काश्त0अधिनियम

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थी सं01 ता 3

निर्णय

दिंनाक :– 22.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार (भूमि धारक)तहसील हिण्डौन ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 175/177 के तहत पेश कर मद नं01 वाद पत्र में दर्ज किया है कि प्रार्थी [illegible] नम्बर 1252/ रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम बाढ करसौली [illegible]

मद नं02 में दर्ज किया है कि [illegible] रकबा श्री विपक्षी सं01 की खातेदारी का है, जो अनुसूचित जाति/ [illegible] जाति का सदस्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

मद नं03 में दर्ज किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य खातेदार ने प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में वर्णित खातेदारी जमीन विपक्षी सं02 लगायत 5 को जरिये बयनामा, रहन शि0 काश्त, हस्तान्तरित कर दी है व करने का इरादा बना लिया है जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42,43,46(ए) के अन्तर्गत अवैध है और ऐसे हस्तातंरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

मद नं04 में दर्ज किया है कि विपक्षीगण, अवैध हस्तातंरण होने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175/177 के तहत बेदखल करने योग्य है।

मद नं05 में दर्ज किया है कि विपक्षीगण ने उक्त मद नं01 में वर्णित कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेना शुरू कर दिया है।

मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र थर्ड शिडूल के सिरियल नं0 66 के अनुसार पेश है।

मद नं07 में दर्ज किया है कि इसमें मयाद का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहत धारा 175/177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर प्रार्थना है कि अतिक्रमी विपक्षी को बेदखल कराया जाकर कब्जा प्रार्थीगण कराया जावे व खर्चा प्रतिपक्षी से प्रार्थी को दिलाया जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं01 ता 6 एवं 10 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 7,8,9, बाजूद तामील उपस्थित नहीं आये तथा दिनांक 18.01.2021 को अप्रार्थी सं01 ता 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 गलत है अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन से सुजानसिंह मुफतलाल कोली के अलावा अन्य किसी पक्षकार का कोई सरोकार नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 1252/2 को खातेदारान द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया है बल्कि स्वंय के उपयोग में स्वंय खातेदारान द्वारा उक्त खसरा नम्बर [illegible] रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद [illegible] किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04,5,6,7 जिस [illegible] गया है स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद [illegible]5 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम बाढ करसौली पर स्वंय सुजानसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

मुफतलाल पिसरान मदनलाल, ओमवती पुत्री मदन जाति कोली का कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा एकदम गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें लेश मात्र भी सत्यता नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं04 लगायत 10 के द्वारा कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया और ना ही उपस्थित आये।

प्रार्थी/वादी की ओर से दस्तावेजी सबूत में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.10.2017, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2074 पेश की है।

तहसीलदार हिण्डौन एवं वकील अप्रार्थी सं01 ता 3 उपस्थित। तहसीलदार हिण्डौन एवं वकील अप्रार्थी सं01 ता 3 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका दिनांक 09.10.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 1241,1243,1255,1249, 1250,1256,1251,1253, 1730/1252, 1731/1252, 1252/2 इत्यादि की गश्त गिरदावरी करने मौके पर आया। मौके पर गिरदावरी करने पर खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 के बारे में पूछा गया। लोगों ने मौके पर जाहिर किया कि इस खेत पर रामफल पुत्र परसादी जाति माली निवासी बाढ करसौली लगभग 10–12 वर्ष पूर्व से काविज है एवं उक्त खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 में दुकानें जगदीश पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी खोहरा घूसेटी, मकान पाटौर पोश कियान पुत्र अमोल जाति माली, राजेन्द्र दिनेश बच्चू प्रीतम पि0मथुआ जाति प्रजापत ने मकान पाटौर, रामफल पुत्र परसादी से लेकर वना रखे हैं। राजस्व रिकार्ड से जॉच करने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 सुजानसिंह, मुफतलाल पि9 मदनलाल, ओमवती पुत्री मदनलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी मालीपुरा तहसील भरतपुर के खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 175 का है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी ए ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुजानसिंह,मुफतलाल पि0 मदनलाल, ओमवती पुत्री मदनलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी मालीपुरा तहसील भरतपुर के खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी ए ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुज[illegible]फतलाल पि0 मदनलाल, ओमवती पुत्री मदनलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी मालीपुरा तहसील भरतपुर के खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा [illegible] जोते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा में आबादी रकबा 0.04 है0 एवं [illegible] 0.13 है0 दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06.24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी ए ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन के प्रतिवादी/ अप्रार्थी सं01 ता 3 सुजानसिंह,गुफतलाल पि0 मदनलाल, ओमवती पुत्री मदनलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी मालीपुरा तहसील भरतपुर के खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त भूमि में से रकबा 0.04 है0 आबादी दर्ज है। जिसके आधार पर सम्पूर्ण रकबा में आबादी नहीं मानी जा सकती है। वादी/ प्रार्थी ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात पर खातेदारों का कब्जा काश्त न होकर प्रतिवादी सं0 4 लगायत 10 का कब्जा हो और उस पर पुख्ता निर्माण हो रहा हो या आबादी के उपयोग में ली जा रही हो। वादी/ प्रार्थी ने ना तो पटवारी हल्का और ना ही गिरदावर हल्का के बयान कराये है और ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान कराये हैं। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है और उस भूमि पर खातेदारान का कब्जा काश्त न होकर अप्रार्थी सं04 ता 10 का कब्जा हो। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि का अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा अन्य किसी भिन्न वर्ग के व्यक्ति को हस्तातंरण किया गया है बल्कि अप्रार्थी सं01 ता 3 द्वारा भूमि स्वंय के कब्जे काश्त में होना जबाव में जाहिर किया है तथा वह ही खातेदार के रूप में जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं01 ता 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 पर अप्रार्थी सं01 ता 3 का ही कब्जा काश्त है अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है प्रकरण में भूमि के गैरकृषि प्रयोजन की स्थिति में तहसीलदार धारा 90 क भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। ऐसे हालात में प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175/ 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकवा 0.17 है0 ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा / प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी खिलाफ प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 175/ 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकवा 0.17 है0 ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। [illegible] शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.26 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested

22.02.21

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner